## DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA (DAVV), INDORE LLB 4 SEMESTER QUESTION PAPER

## छठवां प्रश्न पत्र 2015

## दण्ड प्रक्रिया संहिता CRIMINALLAW-II

नोट- कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt five questions in all. At least one question must be attempted from each Section. All questions carry equal marks.

(खण्ड - अ Section-A)

1. पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों में विचारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

State in brief the procedure to be adopted for the trial cases instituted otherwise than on police report.

- 2. समन वादों के परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप से उल्लेख कीजिए। Explain in brief the procedure to be adopted in the trial of a summons case.
- 3. साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन किन परिस्थितियों में जारी किये जाते हैं? समझाइए। Under what circumstances commissions are issued for the examination of witness? Explain.
- 4. जब कोई निगम या पंजीकृत संस्था अभियुक्त होती है तो उसके विचारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? समझाइए।

What procedure is adopted for a trial when the accused is a corporation or a registered institution? Explain. http://www.rdvvonline.com

- 5. विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के अभियोग का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किस प्रकार करना चहिए? How the trail of a person of unsound mind should be held by a Magistrate?
- 6. किसी अभियुक्त को दण्डादेश देने की बजाय अच्छे अचारण की परिवीक्षा देने के संबंध में न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं समझाइए।

What are the powers of a court to release a on probation of goods conduct rather than awarding punishment? Explain.

- 7. किसी अपील का निपटारा करने के संबंध में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। What are the powered of an appellate court to dispose of the cases of appeal?
- 8. आपराधिक मामलों और अपीलों को अंतरण करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

State the powers of Supreme Court and High Court with regard to transfer of criminal cases and appeals.

9. अपराधों के संज्ञान के लिए समयाविध की परिसीमाओं के महत्व का उल्लेख कीजिए। समयाविध का प्रारम्भ कब से माना जाता है?

Explain the importance of limitation of time for taking cognizance of an offence form when the period of limitation commences? http://www.rdvvonline.com

10. नीलाबती बेहरा वि. राज्य (1993) 2 एस.सी.सी. 746 वाद के तथ्य, निर्णय तथा प्रतिपादित सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

Write down the facts Judgment and the principles of law laid down in the case of Nilabati Behra Vs. State (1993) 2 S.C.C. 746.